भारतीय कपास निगम लिमिटेड : भटिंडा

संख्या: भाकनि/पंजाब/विप(क्रय)/2021-22 दिनांक 12.07.2021

नीलामी सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, भटिंडा अपने निम्नलिखित केन्द्रों पर पुराने त्रिपाल/पल्लियों की "जैसे हैं जहां हैं" के आधार पर केन्द्रों के समक्ष दी गई दिनांक को बिक्री करना चाहता है | सभी इच्छुक ख़रीदारों से अनुरोध है कि वह निर्धारित समय एवं दिनांक को केंद्र पर उपस्थित होकर नीलामी मे भाग ले सकते हैं| पल्ली एवं त्रिपालों का निरक्षण किसी भी कार्य दिवस को केंद्र पर जाकर किया जा सकता है | नीलामी मे भाग लेने हेतु रु 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट जोकि भारतीय कपास निगम लिमिटेड बठिंडा के पक्ष मे देय हो जमा करना आवश्यक है | पल्ली एवं त्रिपाल पर नियमानुसार GST की राशि का भुगतान खरीदी कीमत के अतिरिक्त करना होगा |

क्रम	केंद्र का नाम	तिरपाल	पल्लियां	नीलामी स्थल/दिनांक	कमेटी सदस्य	मोबाइल नंबर
1	रामा	10	1215	रामा केंद्र / 20.07.21	श्री बिशन लाल	94145-10291
2	किलियांवली	07	-		श्री हरजीत सिंह	70144-24440
4	बठिंडा	01	1590	बठिंडा केंद्र / 21.07.21	श्री बिशन लाल	94145-10291
5	जैतो	01	300		श्री हरजीत सिंह	70144-24440
6	बुढ़लाडा	08	500	मानसा / 22.07.21	श्री शैलेंदर तिवारी	79728-23638
8	मानसा	54	-		श्री बाबूलाल मीना	90414-30429
9	अबोहर	23	900	मलोट केंद्र / 22.07.21	श्री राजीव शर्मा	80057-40500
10	मलौट	06	327		श्री विजेंदर यादव	86194-56105
11	गीदरबहा	12	-			
12	मौड़	17	725	मोड़ केंद्र / 23.07.21	श्री बी एन तिवारी	76579-92251
13	रामपुरा	22	1510		श्री विजय हकला	94171-15005
14	संगत	08	-			
कुल		169	7067			

(नीरज कुमार)
सहायक महा प्रबन्धक
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
बठिंडा

प्रति
केंद्र प्रभारी, भाकनि,
रामा/कीलियाँवाली/बठिंडा/जैतो/रामपुरा/मोड़/मानसा/मलोट/अबोहर

नियम एवं शर्ते

1. निगम शाखा कार्यालय बठिण्डा के अर्न्तगत विभिन्न केन्द्रो पर पडे पुराने पल्ली एवं त्रिपालों की बिक्री खुली निलामी में ''**जहां है जैसे है के आधार पर**'' की जायेगी ।

2. पार्टी द्वारा केन्द्रवार रूपये 1000/– की धरोहर राशि निगम के नाम निलामी शुरू कराने से पहले शाखा अथवा केन्द्र पर जमा करवानी होगी । धरोहर राशि डीडी/ई–पेमेंट के माध्यम से ही जमा की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3. पार्टी द्वारा बोली किसी भी केन्द्र अथवा सभी केन्द्रो के लिये दी जा सकती है ।

4. डिलीवरी संबंधित केन्द्र के भण्डारण स्थल से ''**जहां है जैसे है के आधार पर**'' वास्तविक स्थिति के अनुसार पूर्ण भुगतान के पश्चात की जायेगी ।

5. 20% राशि सफल बोली करता को 48 घंटे के अन्दर जमां करवानी होगी ।

6. पार्टी द्वारा संबंधित केन्द्र से डिलीवरी पांच दिन के अन्दर बाकी 80 प्रतिशत राशि का भुगतान कर सहित जमा करते हुए लेनी होगी अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी ।

7. बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में अघोहस्ताक्षरी बठिण्डा का निर्णय अतिंम व मान्य होगा तथा बठिण्डा न्यायलय क्षेत्र के आधीन रहेगा ।